



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012020-215843
CG-DL-E-31012020-215843

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2020/माघ 11, 1941

No. 447]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2020/MAGHA 11, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2020

का.आ.481(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 44 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1597(अ) तारीख 16 जून, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्री सुशील कुमार साहू, तकनीकी अधिकारी, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित औषधियों के वर्गों के संबंध में संपूर्ण भारत के लिए 1 फरवरी, 2020 से सरकारी विक्षेपक नियुक्त करती है, अर्थात:-

1. सेरा
2. टीके के लिए आशयित सीरम प्रोटीन्स का घोल
3. वैक्सीन (आंत्रेतर और मुख से)
4. टोक्सिन

5. एंटीजन
6. एंटी टोक्सिन
7. निर्जीवानुकृत सर्जिकल लिगचर और निर्जीवानुकृत सर्जिकल टांके
8. बैक्टेरियोफेजेज

[फा. सं. एक्स.11014/24/2019-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2020

S.O. 481(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1597(E), dated the 16th June, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints Shri Sushil Kumar Sahu, Technical Officer, Central Drugs Laboratory, Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh to be the Government Analyst with effect from the 1st day of February, 2020 for the whole of India in respect of the following classes of drugs, namely:—

- (1) Sera;
- (2) Solution of Serum Proteins intended for injection;
- (3) Vaccines (parenteral and Oral);
- (4) Toxins;
- (5) Antigens;
- (6) Anti Toxins;
- (7) Sterilized Surgical Ligature and Sterilized Surgical Sutures; and
- (8) Bacteriophages.

[F. No. X.11014/24/2019-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.